

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम) UP POWER CORPORATION LTD. (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking) <u>CIN:U32201UP1999SGC024928</u>

संख्या-318-कार्य / चौदह-पाकालि / 2020-8(42)-के / 2019

दिनांक: 18 फरवरी, 2020

प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणान्चल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ, केस्को, कानपुर।

विषय : M/s Arun Manufacturing Co., 169 Karwal Nagar, Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ के पत्र सं0–440/अधी0अभि0(वा0)/म0वि0वि0नि0लि0 दिनांक 31.01.2020 जो कि M/s Arun Manufacturing Co., 169 Karwal Nagar, Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य) के उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 श्रीवास्तव) उप सचिव (कार्य)

संख्या-318-(I)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्ध एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्सीशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र सं0–440/अधी0अभि0(वा0)/मविविनिलि दिनांक 31.01.2020 के संदर्भ में।
- 3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः-यथोपरि।

(आर0 के0 श्रीवास्तव) उप सचिव (कार्य)

संख्या-318-(II)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020 तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेत्र प्रेषितः-

	प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1.	अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी–781001,
2.	अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा–390007,
3.	अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरूवनन्तपुरम–695001,
4.	सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन०पी०के०पी०आर०, मल्लीगल, ८००ए, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002,
5.	सचिव, हिमॉचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच०पी०)–171004,
6.	सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्वुत नगर, जबलपुर-432008,
7.	अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051,
8.	सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड के, सिलॉंग–793001,
9.	अध्यक्ष, झाङ्खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची-834004,
10.	अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता–700091,
11.	प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर–492013,
12.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि०, विद्युत सौधा, हैदराबाद–500082,
13.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, हैदराबाद–500049,
14.	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि०, शक्ति भवन, सेक्टर–०६, पंचकुला, हरियाणा–134109,
15.	अध्यक्ष, उ० दिल्ली पावर लि०, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली-110009,
16.	अध्यक्ष, दिल्ली ट्राँसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली–110002,
17.	अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर–751001,
18.	प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति :ग्वन, 82-रेस कोस रोड, बैंगलौर-500001,
19.	प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक–5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर–11,
	गाँधीनगर—382001, (गुजरात)।
20.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि०, जनपद, भुवनेश्वर–751001,
21.	अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि०, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22.	अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23.	अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बार्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर-337001,
24.	प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि०, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल,
	कलकत्ता– 700069,
25.	सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि०, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर०सी० देव मार्ग, जयपूर–302005।
26.	सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0–104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019,
27.	प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि०, विद्युत नगर, हिसार–126005,
28.	अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि०, जी०पी०एच० कम्पाउन्ड, पोलो
	ग्राउन्ड, इन्दौर।
29.	निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग
00	बिल्डिंग, 5–पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली–110001।
30.	अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31.	अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।
संलग्न	क यथोपरि ।
	(आर० कं० श्रीवास्तव)

उप सचिव (कार्य)

मह पत्र संठ 279 भार्य-14/पाकालि 20220 इस सब् 3 हिनाक पत्रावली संठ 8142 8119

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय : 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ E-mail : secomm.mvvnl@gmail.com CIN : U31200UP2003SGC027459

पत्रांक : 440/अधी०अभि०(वा०)/म०वि०वि०नि०लि०

दिनांक : 31. 1.20

विषय:--M/s Arun Manufacturing Co., 169 Karwal Nagar, Delhi को व्यापार निषिद्ध किये जाने के उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में।

संयुक्त सचिव (कार्य) उ०प्र0पा0का0लि०, 14, अशोक मार्ग, शक्तिभवन, लखनऊ

कृपया उपरोक्त विषयक आपको निम्नवत अवगत कराना है:--

- M/s Arun Manufacturing Co., 169 Karwal Nagar, Delhi द्वारा निविदा विशिष्टि संख्या मेडको/2046/2017 के अन्तर्गत आपूर्तित 2X4 Sq.mm. LT Aluminum PVC Cable की जाँच में असफल पाये जाने पर उक्त फर्म को इस कार्यालय के पत्र संख्या-443/अधी0अभि0(वा0)/म0वि0वि0नि0लि0/मेडको/2046/2017/अरुन दिनांक 10.10.2019 के द्वारा 03 वर्ष के लिए व्यापार निषिद्ध कर दिया गया था।
- 2. तदोपरान्त फर्म द्वारा, विभाग द्वारा व्यापार निषिद्ध किये जाने के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने वाद दायर किया गया था।
- 3. इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश निम्नवत है:--

"In view of the above, we are of the considered view that the apposite parties have failed to provide an opportunity of the hearing to the petitioner before passing the impugned order so far as it debars the petitioner for doing business for a period of 03 years.

Ms Aprajita Bansal, learned counsel for opposite parties no. 2 to 4, at this stage, submit that the opposite parties may be provided an opportunity to pass a fresh order in this regard.

In this view of the matter, with the consent of parties' counsel the writ petition is disposed of finally, at this stage. The impugned order dated 10.10.2019 is hereby set aside so far as it relates to debarring of the petitioner for a period of three years. The opposite parties would be at liberty to pass a fresh order after giving opportunity of hearing to the petitioner in this regard."

माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ ने उपरोक्त पारित आदेश से इस कार्यालय के पत्र संख्या-443/अधी0अभि0(वा0)/ म0वि0वि0नि0लि0/मेडको/2046/2017/अरुन दिनांक 10.10.2019 के द्वारा निर्गत व्यापार निषिद्ध आदेश निरस्त कर दिया है। मा0 उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में फर्म को पुनः अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय दिया जा रहा है जिसके पश्चात अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश की छायाप्रति सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि।

पत्रांकः / अधी0अभि0(वा0) / म0वि0वि0नि0लि0 / तद्दिनांक प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषितः--

- 1. प्रबन्ध निदेशक, म0वि०वि०नि०लि०, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वां0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ/द0वि0नि0लि0, आगरा/केस्को, कानपुर।
- 3. निदेशक (वाणिज्य), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
- 4. निदेशक (तकनीकी), म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
- 5. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (सा०प्र0), म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।
- 7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ।

07 संतस्तत्विर/पाठकातनिर/ २०२० A 220 A

(विपिन जैन) अधीक्षण अमियन्ता (वाणिज्य)



मध्यौँचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम) प्रधान कार्यालय : 4–ए, गोखले मार्ग, लखनऊ फोन कार्या० : 0522–2208737, 2207065 e-mail : secomm.mvvnl@gmail.com CIN : U31200UP2003SGC027459

पत्रांक 443 / अधी०अभि०(वा०) / म०वि०वि०नि०लि० / मेडको / २०४६ / २०१७ / अरुन दिनांक: /८//०/२०१९

कार्यालय ज्ञाप

म0वि0वि0नि0लि0 लखनऊ के निविदा विशिष्टि संख्या-मेडको/2046/2017 के अन्तर्गत M/s Arun Manufacturing: Co., 169, Karawal Nagar, Delhi को 3450 किमी0 2X4 Sq.mm. LT Aluminum PVC Cable (Unarmoured) की आपूर्ति हेतु निर्गत किए गये क्रयादेश संख्या-275/ SE(COM)/MVVNL/MEDCO/2046/2017/ARUN Dated 18.12.2017 के सापेक्ष भण्डार केन्द्रों पर आपूर्तित 2X4 Sq.mm. LT Aluminum PVC Cable (Unarmoured) में से रैण्डम आधार पर चयनित सैम्पल को NTH, Ghaziabad टेस्टिंग हेतु भेजा गया। उक्त सैम्पल NTH, Ghaziabad द्वारा प्रेषित परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण में असफल (Fail) पाया गया।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में फर्म द्वारा निविदा विशिष्टि के अनुरूप गुणवत्तापरक सामग्री की आपूर्ति न करने के कारण निगम की छवि/प्रतिष्ठा का ह्वास हुआ, जिसके लिए फर्म को दोषी पाए जाने के फलस्वरूप एतद्द्वारा फर्म के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की जाती है:--

- फर्म को 2X4 Sq.mm. LT Aluminum PVC Cable (Unarmoured) की आपूर्ति हेतु निर्गत क्रयादेश में से यदि आपूर्ति हेतु मात्रा शेष है, की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।
- 2. फर्म M/s Arun Manufacturing Co., 169, Karawal Nagar, Delhi को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अन्तर्गत, फर्म का सैम्पल असफल होने की तिथि अर्थात 12.02.2019 से, 03 (तीन) वर्ष के लिए व्यापार निषिद्ध (Debar) किया जाता है।
- निविदा विशिष्टि संख्या मेडको / 2046 / 2017 के अनुबन्ध में निहित प्राविधानों के अनुसार निगम किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु अपने अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रबन्ध निदेशक

(विपिन जेन अधीक्षण अभियन्ता

विणिज्य

पत्रांक 44 3 / अधी०अभि०(वा०) / म०वि०वि०नि०लि० / मेडको / 2046 / 2017 / अरुन / तद्दिनांकः 10/10/2019 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1. निजी सचिव, अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3. प्रबन्ध निदेशक, म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वाoविoविoनिoलिo, वाराणसी / पoविoविoनिoलिo, मेरठ / दoविoविoनिoलिo, आगरा / केस्को, कानपुर।
- 5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- निदेशक (तकनीकी / वित्त / का०प्र० एवं प्रशा0), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- 7. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ।

1

8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, लखनऊ।

9. संयुक्त सचिव (कार्य), उ०प्र०पा०का०लि०, 14 अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

10. M/s Arun Manufacturing Co., 169, Karawal Nagar, Delhi

Court No.-2

Case :- MISC. BENCH No. - 33991 of 2019

Petitioner 1- M/S Arun Manufacturing Company Thru.Prop Arun Gupta Respondent 1- State Of U.P.Thru. Prin, Secy, Energy Depit, & Ors. Counsel for Petitioner 1- Shobhit Mohan Shukla Counsel for Respondent 1- C.S.C.,Aprojita Bansal

Hon'ble Ritu Raj Awasthi.J. Hon'ble Attau Rahman Masoodi.J.

Notice on behalf of opposite party no. 1 has been accepted by the learned Chief Standing Counsel whereas Ms. Aprajita Bansal, Advocate has accepted notice for opposite parties no. 2 to 4.

Heard Mr. Jaldeep Narain Mathur, learned Senior Advocate assisted by Mr. Shobhit Mohan Shukla, learned counsel for petitioner as well as learned standing counsel for opposite party no. 1 and Ms. Aprajita Bansal, learned counsel for opposite parties no. 2 to 4.

The writ petition has been filed challenging the Office Memorandum dated 10.10.2019 issued by the opposite parties no. 3/4 contained as Annexure No. 1 to the writ petition in so far as it debars the petitioner from doing business for a period of three years.

Mr. Jaideep Narain Mathur, learned Senior Advocate appearing for the petitioner submits that no opportunity whatsoever has been provided to the petitioner before debarring the petitioner for a period of three years. So far as the impugned order of cancelling the contract is concerned, the petitioner was issued a show cause notice dated 12.9.2019 under Clause 12 of Form B calling upon the petitioner to submit his explanation within seven days with respect to the alleged shortcoming found in the material supplied by the petitioner. The said notice was not with respect to the debarring/blacklisting of the petitioner.



Learned counsel for the petitioner further submits that under Clause 12 in case of negligence on the part of the contractor, the opposite parties are entitled to take appropriate action and may even cancel the contract, however, under the said clause they cannot proceed to debar/blacklist the petitioner, it is beyond the scope of contract.

Ms. Aprajita Bansal, leanred counsel for opposite parties no. 2 to 4 submits that there is a clause for arbitration under the agreement and the petitioner, in case feels aggrieved, can initiate the arbitration proceedings. However, it is submitted by Ms. Aprajita Bansal that so far as blacklisting or debarring of contractor is concerned, the said show cause notice was issued under Clause 12 of Form B.

We have considered the submissions made by the parties' counset and gone through the record.

The notice of show cause issued to the petitioner was under Clause 12 of Form B which was part of the agreement, it relates to the negligence on the part of the contractor in connection with the manufacturer and supply of certain material which has been found to be of inferior quality in the testing of certain random samples. It indicates that in the sample testing of cable supplied by the petitioner the tested cable sample falled to meet the requirements with respect to 'Conductor Resistance Test'.

The show cause notice is not with regard to debarring or blacklisting of the petitioner.

In view of above, we are of the considered view that the opposite parties have failed to provide an opportunity of hearing to the petitioner before passing the impugned order so far -- it debars the petitioner for doing business for a period of

three years.

Ms. Aprajita Bansal, learned counsel for opposite parties no. 2 to 4, at this stage, submits that the opposite parties may be provided an opportunity to pass a fresh order in this regard.

In this view of the matter, with the consent of parties' counsel, the writ petition is disposed of finally, at this stage.

The impugned order dated 10.10.2019 is hereby set-aside so far as it relates to debarring of the petitioner for a period of three years. The opposite parties would be at liberty to pass a fresh order afte: giving opportunity of hearing to the petitioner in this regard.

[Attau Rahman Masoodi, J.] [Ritu Raj Awasthi, J.]

succession of the second s

Order Date :- 9.12.2019 Santosh/-

Authenticpted Copy

Assistant Registrar Computerized Corging Contre High Court, Loci now Bonch Luc. now